संख्या– 234/VI/2005–5 पर्य0/97

प्रेषक,

ए0के0घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 14 मार्च, 2005

विषयः–केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रांश एंव राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–112/VI /2005–5 पर्य0/97,दिनांक 09 फरवरी,2005 के क्रम में आपके पत्रांक–616/2–7–364/04 दिनांक 06–03–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2004–05 में केन्द्र वित्त पोषित योजना हेतु रू0 595.72 लाख संगत मद से एवं रू0 300.00 लाख संलग्न तालिकानुसार व बी0एम0–15 के विवरणानुसार के अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अर्थात् कुल रू0 895.72 लाख में से कुल रू0 895.72 लाख (रूपये आठ करोड़ पिचानब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की भी स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। उक्त धनराशि में रू0 892.67 लाख का केन्द्रांश व रू0 3.05 लाख का राज्यांश सम्मिलित है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12–कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं हुआ हो अथवा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि का दोहरा आहरण न किया जायं। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

14–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

15–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
16–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।
17–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
18–निर्माण कार्यों/योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इनके संचालन की विधिवत व्यवस्था/एग्रीमेन्ट करने के उपरांत ही संबंधित नामित संस्था के संचालन हेतु दी जाये।
19–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
20–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–757/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 11 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(ए0के0घोष)
अपर सचिव।

संख्या– VI/2005–5 पर्य0/97 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, गाजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी ।
3– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
4– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

14/3/05

(ए0के0घोष)
अपरसचिव।

संख्या–234/VI/2005–5 पर्य0/97 दिनांक 14 मार्च,2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम0सं0	योजना का नाम	केन्द्रांश जो भारत सरकार से अवमुक्त किया गया है	अवमुक्त की जा रही धनराशि		योग
1	2		केन्द्रांश	राज्यांश	
1	दयारा बुग्याल(जनपद उत्तरकाशी)सर्किट का पर्यटन विकास	429.08	337.70	–	337.70
2	पौड़ी–खिर्सू–लैंसडौन डेस्टिनेशन का पर्यटन विकास	361.60	250.00		250.00
3	रैथल में एफ0आर0पी0 हटस का निर्माण	4.97	4.97	3.05	8.02
4	पिथौरागढ़–मुनस्यारी–बेरीनाग–कुमाऊँ डेस्टिनेशन का पर्यटन विकास	344.88	300.00		300.00
	योग	1140.53	892.67	3.05	895.72

(रू0 आठ करोड़ पिचानब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र)

14/3/05

(प्र0वी0घोष)
अपर सचिव।